न्यायालय सहा. कले. (फास्ट-ट्रेक) निवाई, जिला टोंक
डॉ. नीलम मीणा द्वारा प्रख्यापित।

वाद संख्या – 78/2010
निर्णय दि. – 6/4/2022

उनवान

1. मदन पुत्र नारायण प्रकाश माता धापु उर्फ धापा देवी जाति बैरवा निवासी जे. जे. कॉलोनी, नई दिल्ली।
2. रमेश पुत्र नारायण प्रकाश माता धापु
3. अमृतलाल } पि. राधेश्याम
4. पवन
5. सावित्री } पुत्रियां नारायण प्रकाश माता धापू उर्फ धापा देवी
6. सुरेश

} जाति बैरवा निवासी जे. जे. कॉलोनी नई दिल्ली।

– वादीगण

बनाम

1. लालूराम पुत्र गोपीराम बैरवा निवासी एफ. सी. आई. गोदाम के पास कस्बा निवाई तह. निवाई जिला टोंक (राज.)
2. तहसीलदार निवाई

–प्रतिवादीगण।

– दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

– उपस्थित – 1. श्री रामावतार शर्मा, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री विनय शंकर शर्मा, अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

– वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है – आराजी खसरा नं. 2877/4 2 बीघा वाके हरिपुरा एवं

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

ख॰ नं॰ 2729/4 रकबा 2 बीघा ख॰नं॰ 2730/6 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम मिलाय तह॰ निवाई में स्थित है। जिसके वादीगण स्व॰ बापू देवी के जायन्दा वारिस एवं उत्तराधिकारी होने के कारण मालिक व स्वामी काबिज काश्तकार हैं।

बापू देवी का स्वर्गवास 13-7-09 को हो चुका है अतः पैत्रिक वारिसान होने के कारण वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

प्रतिवादी सं॰ 1 वादीगण की माता का खास भाणजा था वह निवाई का रहने वाला है तथा वही भूमि की देख रेख करता था। प्रतिवादी सं॰ 1 जो कि राजस्व कर्मचारी रहा है, उसने वादीगण की माता व दादी के अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाकर उसको धोखे में रखकर मुख्तार नामे के स्थान पर बिना वादी की माता की सहमति के 29-10-03 को गुपचुप रूप से एक वसीयत पत्र तैयार करवाकर रजि॰ करवा लिया तथा छल व कपट कर उक्त दस्तावेज वसीयत पत्र पर अपने पुत्र एवं काका बाबा में भाई प्रभूलाल के हस्ताक्षर करवा लिए।

वादीगण की माता व दादी कभी भी प्रतिवादी सं॰ 1 को वसीयत करने की कोई इच्छा व मंशा कभी नहीं रही थी और ना ही वह कभी प्रतिवादी सं॰ 1 के पास रही। वह मृत्यु पर्यन्त दिल्ली वादीगण के पास रहती थी। उसकी सम्पूर्ण देखभाल, सार संभाल, वादीगण द्वारा की गई।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

दि० 29-10-2003 को करवाये गए वसीयत पत्र को वादीगण के हक हितों के प्रति बेअसर प्रभाव शून्य घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी सं०1को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

वाद दर्ज रजि० कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी सं० 1 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, जिसका सार निम्न प्रकार है—

वादग्रस्त भूमि मृतका धापू देवी की स्व अर्जित सम्पत्ति थी, जिसने अपने जीते जी जरिये रजि० वसीयत पत्र प्रतिवादी सं०1 के हक में अपनी मृत्यु से 6-7 पूर्व ही वसीयत कर दी थी। स्व० धापू देवी 20 वर्षों से प्रतिवादी सं० 1 के पास ही रह रही थी। उसके पति की मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी थी। वादीगण धापू देवी को बेसहारा अकेला छोड़कर चले गये थे। जिसकी हारी, बीमारी में भी सुदबुध नहीं ली एवं प्रतिवादी ने ही उसकी सेवा बन्दगी की, उसके जीवन यापन के लिये धापू देवी पुत्री बिरधाराम के नाम से स्वयं ने ग्राम मिलाप में कृषि भूमि आवंटित हुई। प्रतिवादी द्वारा ही धापू देवी की मृत्यु तक उसकी तथा उसकी कृषि भूमि की देखभाल करी गई। व कृषि भूमि से सम्बन्धित कई मुकदमें में देखभाल तथा खर्चा किया। वाद में प्रस्तुत नजरा भी गलत पेश किया गया। अतः वादीगण किसी भी प्रकार से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद खारिज किये जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

बहस अभिभावक गण उभय पक्ष सुनी गयी। दौरान बहस अभिभावक वादीगण ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादीगण मृतका धापु देवी के जायज वारिसान है। उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

- वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाब दावें में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वसीयत पत्र के आधार पर उसे खातेदार घोषित कर वाद खारिज फरमावें।

- हमने बहस अभिभावकगण पर गहन मनन किया तथा पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। संलग्न जमाबन्दी संवत 2060-63 के अनुसार भूमि खसरा नं. 2877/4, 2729/4, 2730/6 धापु देवी पुत्री बिरधाराम के नाम दर्ज है। वाद में दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकी यात कायम की गई -

तनकी नं. 1 व 2

1. आया वादीगण वादग्रस्त आ. ख.नं. 2877/4 (2 बीघा) वाके ग्राम हरिपुरा एवं ख.नं. 2729/4 (2 बीघा), 2730/6 (3 बीघा) वाके ग्राम मिलाय का अपने को खातेदार घोषित करा। राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कराने तथा प्रतिवादीगण को उसमें बाधा मजाहमत नहीं करने हेतु पाबन्द कराने के हकदार है।

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

तनकी नं 2 -

आया वादीगण प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा तहरीर व तकमील करवाये गये वसीयत पत्र दि० 20/10/03 को अपने हक हितों के प्रति प्रभावशून्य घोषित करवाने के हकदार है। दोनों तनकियों को सिद्ध करने का भारवादी था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है, कि वादीगण स्व० घापु देवी के वारिसान है। प्रतिवादी सं० 1 का कथन है, कि स्व० घापु देवी उसके पास ही रहती थी तथा उसने प्रतिवादी सं० 1 के नाम वसीयत कर दी थी। परन्तु पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात यथा मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन भुगतान आदेश तथा चिकित्सालय के कागजात से स्पष्ट है, कि वादिया का इलाज दिल्ली में चला है, तथा उसकी मृत्यु भी दिल्ली में ही हुई है। ऐसी स्थिति में ये नहीं माना जा सकता कि वादिया प्रतिवादी सं० 1 के साथ रहती थी। चूंकि वादीगण मृतका घापु देवी के जायन्दा वैध वारिसान है। जो कि उसके नाम दर्ज खातेदारी भूमि के विरासत के आधार पर प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः तनकी सं. 1 व 2 वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

- तनकी नं. 3

आया वाद ग्रस्त आराजी मृतक घापू देवी की स्व अर्जित कृषि भूमि थी। जिसे उसने जरिए रजि० वसीयत प्रतिवादी सं० 1 को कर दी है। इसलिए उक्त वसीयत को सक्षम

सहायक कलेक्टर
(फास्ट-ट्रेक) निवाई

Scanned with OKEN Scanner

- न्यायालय द्वारा बगैर निरस्त कराये। इस प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है।
- ~~जिम्मे प्रतिवादी सं०।~~

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी सं० 1 पर था। चूँकि दावा कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों को निर्णित करने के सम्बन्धमें है तथा इस तनकी द्वारा चाहा गया अनुतोष आनुषंगिक प्रकृति का है। जब कि मूल अनुतोष खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत है। तनकी नं. के विवेचनानुसार वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार है। अत: यह तनकी प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

- उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण अपने जिम्मे आई तनकियों को साबित करने में सफल रहे हैं। जब कि प्रतिवादी सं. 1 उसके जिम्मे आई तनकी को साबित नहीं कर पाया है. अत: वाद वादीगण डिक्री किया जा कर वादीगण को आराजी खसरा नं. 2877/4, 2729/4, 2730/6 वाके ग्राम हरिपुरा एवं किलाप का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में इसी मुताबिक अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

- निर्णय आज दि. 6/4/22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
6/4/22
सहायक कलेक्टर

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डॉ. नीलम मीणा, आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

दावा संख्याः– 78/2010
निर्णय दिनांकः–06.04.2022

उनवान

मदन बनाम लालूराम वगै0

दावा बाबत उद्घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू डॉ. नीलम मीणा ब हाजरी श्री रामावतार शर्मा वकील वादी व श्री विनयशंकर शर्मा वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण अपने जिम्मे आई तनकियों को साबित करने में सफल रहे है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 उसके जिम्मे आई तनकी को साबित नही कर पाया अत वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 2877/4, 2729/4, 2730/6 वाके ग्राम हरिपुरा एवं झिलाय को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 04 सन् 2022 को जारी की गई।

6/4/22

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक), निवाई

Scanned with OKEN Scanner